

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(एक विश्व सरकार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

शोभी कायापाल शाखाएँ
बीबी कायापाल, नामकुम, रौली-834010
RANCHODI BHANU, NAMUKU, RANCHI-834010
Phone: 9651-2963019, Email: rsk@esic.gov.in
generalsbranch-jb@esic.in, Website : www.esic.gov.in

दिनांक : अगस्त 2026

No: GE-09/14/2025-GENL.

अधिकारता को पैनल करने हेतु सूचना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), जो कि रम्य शाखाएँ प्रमाणित करता है, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निगम है, शाखाएँ राज्य (ज्यिल) (1) माननीय शाखाएँ उच्च न्यायालय - रौली, (2) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) सेच - रौली और (3) अन्य सभी न्यायालय - रौली (4) सभी न्यायालय - पूर्वी सिंहभूम (5) सभी न्यायालय - पनवार और कोरकोर (6) सभी न्यायालय - सरयोकला-खारसर्वा, देवघर, (जसीदुर्ग), मिरिडिह, लातेहार, कोडमा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, पछिम सिंहभूम, हारीबाबा, कोडमा, पाकुड़, बूँटी, गोडोडी, पाकुड़, मुनाफा, लोहरागढ़, जामताड़ा, साँहगाँव, इटाना में ESIC का माननीय न्यायालय प्रमाणित किया जाता है।

अधिकारता को एक सामान्य पैनल (Common Panel of Advocates) के तहत हेतु पात्र और इच्छुक अधिकारताओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। इस सूचना की तिथि से चौदह दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

इस ब्रानच विस्तृत निगम, शर्तों, शाखा संरचना तथा निर्धारित आवेदन प्रारूप (Annexure - A एवं Annexure - B) का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिकारिक वेबसाइट www.esic.gov.in तथा बीबी कायापाल, शाखाएँ की वेबसाइट www.rojrharkhand.esic.gov.in पर उपलब्ध है एवं विशेष जानकारी के लिए बीबी कायापाल, नामकुम, रौली में संपर्क कर सकते हैं।

अतः इच्छुक एवं पात्र अधिकारता निर्धारित निगम एवं शर्तों के अनुसार अपना आवेदन निगम शाखाओं में ऑनलाइन तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं।

बीबी कायापाल शाखाएँ, ESIC, रौली